6071(E)
1/09/2026

निर्गत शाखा
1/9/26

पथ निर्माण विभाग

दिनांक .... को सम्पन्न परिवाद समिति की बैठक की कार्यवाही।

पटना पश्चिम पथ प्रमंडल, पटना के अन्तर्गत Long Term Output and Performance Based Road Assets Maintenance Works Under OPRMC-III Package No.-43A/Patna West कार्य की निविदा के तकनीकी बीड में प्राप्त परिवाद पर विभागीय पत्रांक–2217(E) दिनांक–01.04.2026, पत्रांक–2360(E) दिनांक–09.04.2026 एवं पत्रांक–5625(E) दिनांक–17.08.2026 द्वारा गठित समिति की बैठक की कार्यवाही।

उपस्थितिः

(i) श्री उमा कान्त रजक, अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव (कार्य प्रबंधन), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

(ii) श्री अभिषेक पलासिया, संयुक्त सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

(iii) श्री राजेश कुमार गुप्ता, मुख्य अभियंता, संविदा प्रबंधन, नीतिगत मामले एवं लेखा परीक्षा, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

(iv) श्री राजकुमार, मुख्य अभियंता, दक्षिण, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

2. दिनांक–13.08.2026 को आहूत तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की कार्यवाही, जो उपभागीय ज्ञापांक–2681 दिनांक–13.08.2026 द्वारा संसूचित है, में लिये गये निर्णय के विरूद्ध प्राप्त परिवाद पर मुख्य अभियंता, दक्षिण, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक–2828(अनु०) दिनांक–22.08.2026 के माध्यम से परिवाद पर दिनांक–22.08.2026 को आहूत तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की कार्यवाही एवं अनुशंसा के आधार पर विवरणी निम्नवत् है :–

2.1	कार्य का नाम एवं पैकेज संख्या	:	Long Term Output and Performance Based Road Assets Maintenance Works Under OPRMC-III Package No.-43A/Patna West
2.2	योजना मद	:	3054
2.3	निविदा आमंत्रित करने वाले प्रमंडल का नाम	:	पटना पश्चिम पथ प्रमंडल, पटना।
2.4	प्रशासनिक स्वीकृति की राशि एवं प्रसंग	:	₹25605.36 लाख। विभागीय ज्ञापांक–3247(एस०) दिनांक–12.05.2026
2.5	तकनीकी स्वीकृति की राशि एवं प्रसंग	:	₹29553.17 लाख। मुख्य अभियंता, दक्षिण, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना का पत्रांक–1695(अनु०) दिनांक–23.05.2026
2.6	ECV/परिमाण विपत्र की राशि	:	₹26288.91112 लाख।
2.7	कार्य समाप्ति की अवधि	:	84 (Eighty-four) Months.
2.8	निविदा की प्रक्रिया	:	ई–टेंडरिंग (MBD)
2.9	निविदा प्राप्ति की तिथि	:	03.07.2026
2.10	प्राप्त निविदा क्या पुनर्निविदा है यदि हाँ तो कारण	:	पुनर्निविदा नहीं है।

3. विषयांकित निविदा में निम्नलिखित 06 (छः) संवेदकों द्वारा भाग लिया गया :-

(1) M/s Amhara Construction Pvt. Ltd.
(2) M/s Mother India Construction Pvt. Ltd.
(3) M/s S&P Infrastructure Developers Pvt. Ltd.
(4) Ram Kripal Singh Construction Pvt. Ltd.
(5) M/s Sai Engicon and Construction Pvt. Ltd.
(6) Avednex Pvt. Ltd.

4. दिनांक-13.08.2026 को तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति द्वारा 06 (छः) निविदाकारों में से 04 (चार) निविदाकार यथा (1) M/s S&P Infrastructure Developers Pvt. Ltd. को NIT की कंडिका-39, MBD Section 3 Clause 1.2.3, Clause 2.2.2 Clause 1.2.1 (b) के तहत् (2) M/s Ram Kripal Singh Construction Pvt. Ltd. को NIT के क्रमांक-28 के तहत् एवं (3) M/s Sai Engicon and Construction Pvt. Ltd. को MBD Section 3 Clause 2.3.1 (b) के तहत् एवं (4) Avednex Pvt. Ltd. को MBD में वांछित कोई भी कागजात अपलोड नहीं करने के कारण तकनीकी बीड में असफल तथा शेष 02 (दो) निविदाकार यथा (1) M/s Amhara Construction Pvt. Ltd. एवं (2) M/s Mother India Construction Pvt. Ltd. को तकनीकी बीड में सफल घोषित करने का निर्णय लिया गया।

5. उपभागीय ज्ञापांक-2681 दिनांक-13.08.2026 द्वारा संसूचित दिनांक-13.08.2026 को सम्पन्न तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की निर्णय के विरूद्ध विषयांकित कार्य की निविदा के तकनीकी बीड में असफल निविदाकार यथा (1) M/s S&P Infrastructure Developers (P) Ltd. के पत्रांक-S&P/Admin/2026-27/178 दिनांक-14.08.2026 (2) Ram Kripal Singh Construction Pvt. Ltd. के पत्रांक-शून्य दिनांक-15.08.2026 के द्वारा परिवाद/अभ्यावेदन/आपत्ति समर्पित किये जाने के परिप्रेक्ष्य में मुख्य अभियंता, दक्षिण, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-2828(अनु०) दिनांक-22.08.2026 द्वारा परिवाद पर दिनांक-22.08.2026 को आहूत तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की बैठक की कार्यवाही एवं अनुशंसा समर्पित की गई है।

6. उपरोक्त तकनीकी बीड में असफल 02 (दो) निविदाकार यथा (1) S&P Infrastructure Developers (P) Ltd., Ref No-S&P/Admin/2026-27/178 दिनांक-14.08.2026 द्वारा एवं (2) Ram Kripal Singh Construction Pvt. Ltd. Ref No-शून्य दिनांक-15.08.2026 द्वारा विषयांकित कार्य के तकनीकी बीड मूल्यांकन पर परिवाद प्राप्त हुआ है, जो निम्नवत् है :-

<u>परिवाद/आपत्ति की समीक्षा</u> :-

क्र० सं०	परिवादी निविदाकार का नाम	परिवाद/आपत्ति	तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति द्वारा परिवाद की समीक्षा एवं निर्णय/अनुशंसा	परिवाद समिति की अनुशंसा
1.	S&P Infrastructure Developers(P) Ltd.	**Alleged declaration as Non-Performer** Clause 2.2.2 of Section 3, read		तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की अनुशंसा से

		with Form CON-1, says that contract non-performance during the last five years can be considered only when the dispute has been fully settled. It also explains that a dispute is fully settled only after it has been decided under the contract and all available appeals have been completed. In our case, there is no such final decision. A rectification notice, departmental letter, internal remark, or pending dispute cannot by itself prove that a contractor is a Non-Performer under Clause 2.2.2. We have never received any show-cause notice or final order declaring us a Non-Performer for the Ara-Chapra via Babura-Doriganj Road work. The technical evaluation also does not mention the number, date, issuing authority, or validity of the alleged order. We therefore request you to provide us a copy of the order relied upon. Until such a final order is shown, this reason should not be used to reject our Bid. The Ara-Chapra via Babura-Doriganj Road work has already been completed. After completion, the Executive Engineer issued a letter dated 08.06.2026 for some rectification	कार्यपालक अभियंता, शाहाबाद पथ प्रमंडल, आरा का पत्रांक–3528 दिनांक–31.12.2025 पत्रांक–1167 दिनांक–30.03.2026,	सहमत।

		work. We responded and arranged the required manpower and machinery. The work took some time because resources had to be arranged again and permission was required from the District Administration for traffic management. These facts were explained in our letters dated 13.07.2026 and 01.08.2026. This is only a rectification matter after completion of the work. It has not been finally decided against us under the contract. Therefore, it should not be treated as poor performance or as a ground for rejecting our Bid under Clauses 1.2.1(b) and 2.2.2. Declaring a contractor as a Non-Performer has serious effects on its business. Before taking such action, the contractor must be issued the Show Cause Notice of the proposed action and given a proper chance to explain its case. We were not given any such notice or opportunity and even also not been issued a formal letter declaring us a Non-Performer. Therefore, application of Clauses 1.2.1(b) and 2.2.2 for dis-qualification is beyond the terms of the tender. Certificate for ongoing works The second reason says that the Engineer-in-Charge certificate	पत्रांक–1682 दिनांक–25.05.2026 एवं अधीक्षण अभियंता का पत्रांक–1234 (अनु०), दिनांक–18.06.2026 जो कि परिवाद में संलग्न है, से स्पष्ट है कि क्षेत्रीय अभियंताओं द्वारा कार्य करने हेतु निदेशित किया गया है, परन्तु संवेदक द्वारा कार्य नहीं किया गया है। कार्यपालक अभियंता द्वारा स्पष्ट लिखा गया है कि TTRI के जाँच प्रतिवेदन से स्पष्ट होता है कि आपके द्वारा आरा–छपरा भाया बबुरा पथ के चैनेज 8 से 9 कि०मी० में कराये गये PQC कार्य Specification के अनुरूप नहीं है। अतः अपने खर्च पर उक्त कार्य का Dismantle कर पुनः Specification के अनुरूप PQC कार्य कराना सुनिश्चित करें। निविदाकार का उक्त कार्य MBD Section-3 की कंडिका 1.2.1 (b) poor performance की श्रेणी में आता है। अतः परिवाद का आरोप मान्य नहीं है। NIT की कंडिका–28	

		for one ongoing work was not uploaded as required under Clause 1.2.3 of Section 3, Section 4E.10/Form FIN-4, and Serial No. 39 of the NIT. However, the evaluation does not mention which work or certificate is missing. It also does not show the amount taken for that work or the calculation of our bid capacity. We had disclosed all our ongoing works in the Bid and submitted the certificates available with us. Copies of the certificates are again enclosed for easy reference. We had given the name of each project, the employer, contract amount, completion period, and balance commitment. We did not hide any work or liability. In EPC contracts, the officer performing the role of Engineer-in-Charge is generally called the Authority's Engineer or Authority Engineer under Article 18 of the EPC Agreement. Therefore, a certificate issued by the competent Authority Engineer should be accepted even though the designation is different. We are not asking for any change in our Bid or for adding any new experience or qualification. We are only	के अनुसार Existing Commitment of ongoing work के सूची में सभी कार्य के Supporting document के EIC द्वारा निर्गत पत्र Upload किया जाना आवश्यक है। अतः परिवाद में उल्लेखित बिन्दु को अमान्य किया जाता है।	

		asking for confirmation of the information already submitted with the Bid. Under ITB Clauses 22 and 25, the Authority may ask the bidder for clarification or supporting documents, provided that the Bid price and its main contents are not changed. The required confirmation would only verify the details already given in Form FIN-4 and would not change our Bid in any manner. The issue relates to only one work out of around 30 works disclosed by us. If there was any doubt, the Authority could have asked us for clarification. It could also have taken the full balance value of that work while calculating our bid capacity and checked whether we still met the requirement. We therefore request the Evaluation Committee to tell us which certificate is considered missing and provide the bid-capacity calculation. We are ready to submit the required confirmation from the Authority Engineer/Engineer-in-Charge immediately. In view of the above, the Bidder respectfully requests that the competent authority to declare our bid responsive/ qualified in accordance with		

		tender documents and open our Financial bid. This representation is made bona fide and without prejudice to all contractual, statutory, and constitutional rights and remedies available to the Bidder. The Bidder requests a speaking decision before the Financial Bids are opened and communicated to it at the earliest.		
2	Ram Kripal Singh Construction Pvt. Ltd.	उक्त के संबंध में भवदीय से अनुरोध है कि Bihar Advocates Welfare Trusty Committee Bihar Bar Council Bhawan, Patna का Reference No.- 315/2026 दिनांक–13.04.2026 द्वारा निर्गत आदेशानुसार ₹ 25/- के स्थान पर ₹ 50/- का Advocate Welfare Stamp शपथ पत्र में Affixed किया जाना है। चुँकि मेरे द्वारा अपलोडेड शपथ पत्र झारखण्ड में बनवाया गया है एवं वहाँ पर 15–15/– रूपये का Advocate Welfare Stamp निर्गत है, इसलिए मेरे द्वारा Bihar Advocate Welfare Stamp एवं NIT की कंडिका–28 के अनुपालन में 50/–रूपये के स्थान पर 60/– रूपये का Advocate Welfare Stamp शपथ पथ पर Affixed किया गया एवं इसे विषयांकित कार्य के निविदा में वांछित अहर्ता को पूर्ण करने के लिए लगाया गया है।	निविदाकार द्वारा निविदा के साथ Uploaded शपथ–पत्र में वांछित शपथ–पत्र पर Additional Rs. 25/- का Advocate Welfare stamp affix नहीं किया गया है। विभागीय पत्रांक–3608 (E) दिनांक–22.05.2020 द्वारा किये गए प्रावधान It is mandatory to attached Rs. 25/- Advocate welfare stamp on affidavit for advocate welfare fund. तद्‌नुसार MBD NIT की कंडिका–28 पर निदिष्ट उक्त वांछित अहर्त्ता का अनुपालन नहीं किया गया है, अतः निविदाकार की आपत्ति को अमान्य किया जाता है।	Ram Kripal Singh Construction Pvt. Ltd. द्वारा NIT के क्रमांक–21 एवं MBD के Section-3, clause 1.2.1 के आलोक में समर्पित शपथ–पथों में कुल Rs. 40/- का Advocate welfare Stamp संलग्न है। अतः परिवाद का यह बिन्दु मान्य है।

		उक्त वर्णित तथ्यों के आधार पर भवदीय से सादर अनुरोध है कि मेरे द्वारा NIT की कंडिका–28 के अनुपालन में शपथ पत्र पर 25/– रूपये के स्थान पर 60/– रूपये के Stamp लगाया गया है, जो अधिक है। अतः इस आधार पर सहानुभूतिपूर्वक पुनः विचार करते हुए तकनीकी बीड में मुझे सफल घोषित करने की कृपा की जाय।		

7. <u>परिवाद की समीक्षा एवं तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की अनुशंसा :–</u>

समिति द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त दिनांक–13.08.2026 को सम्पन्न तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति के निर्णय को यथावत् रखने की अनुशंसा की जाती है।

8. Package संख्या–45A में Bhardwaj Construction द्वारा Mother India Construction Pvt. Ltd. के विरूद्ध परिवाद दिया गया है कि इन्होंने वाद संख्या CWJC No2824/2025 को Pending Litigation में नहीं दर्शाया गया है, जाँचपरान्त पाया गया कि Mother India Construction Pvt. Ltd. द्वारा इस निविदा में भी उक्त वाद को Pending Litigation में नहीं दर्शाया गया है।

9. निविदाकार M/S Sai Engicon & Construction Pvt. Ltd. द्वारा पथ प्रमंडल, सुपौल के पैकेज सं0–15C में प्राप्त आपत्ति एवं उसकी समीक्षा निम्नवत् है :–

	परिवाद/आपत्ति	तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति द्वारा परिवाद की समीक्षा एवं निर्णय/अनुशंसा	परिवाद समिति की अनुशंसा
1	**<u>M/S Sai Engicon & Construction Pvt. Ltd.</u>** MBD के section 3 Clause 1.2.1 (b) के अहर्ता पूर्ण नहीं करने के कारण मुझे असफल घोषित किया गया है, जिसका कारण भी नहीं बतलाया गया है, जबकि किसी भी बैठक में लिये गये निर्णय में तार्किक निष्कर्ष होना आवश्यक है। निविदा के असफल घोषित करने में मूल आधार यह कहा गया है कि हमारे द्वारा पथ प्रमंडल, बेनीपुर के अधीन कराये जा रहे एक एकरारनामा को विखंडित कर Risk एवं Cost पर कार्य कराये जाने का उल्लेख किया गया है और उस आधार पर वर्णित एकरारनामा Non-Performing Contract के तहत बतलाया गया है, परन्तु इस संबंध में वैधानिक	विषयगत निविदा में तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति द्वारा निविदाकार M/S Sai Engicon & Construction Pvt. Ltd. को विभाग द्वारा पथ प्रमंडल, बेनीपुर अंतर्गत एकरारनामा संख्या–01/SBD/2021-22 के तहत कराये जा रहे कार्य में उदासीनता बरतने एव ससमय कार्य पूर्ण नहीं किये जाने के कारण एकरारनामा विखंडित कर Risk & Cost पर कराये गये कार्य को दृष्टिपथ में	तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की अनुशंसा से सहमत।

	बिन्दुओं को नहीं देखा गया है, जिसको देखा जाना आवश्यक था। इस संबंध में यह कहना आवश्यक है कि विषयांकित कार्य जिसके आधार पर हमारे निविदा को असफल घोषित किया गया है से संबंधित कार्य में हमारे फर्म को कार्य में उदासीनता बरतने एवं ससमय कार्य पुरा नहीं किये जाने एकरारनामा को विखंडित करते हुए कालीसूची मे डाला गया था। उक्त कार्रवाई से क्षुब्ध होकर क्योंकि हमारे द्वारा संबंधित कार्य के प्रति कभी उदासीनता नहीं बरती गयी थी, तो ऐसी स्थिति में अपील अभ्यावेदन भी समर्पित किया गया था। उसमें भी हमें न्याय नहीं मिलने पर हमारे द्वारा माननीय उच्च न्यायालय पटना CWJC No. 9646/2025 दायर किया गया। उक्त दायर वाद में दिनांक 23.06.2025 को पारित आदेश का अवलोकन करना चाहेंगे, जिसमें यह कहा गया है कि Accordingly, impugned order dated 01.01.2025 (Annexure-P/16) stands set aside. The fresh Appellate Authority order is also set aside. The concerned authority is hereby directed to pass a order insofar as blacklisting while taking note of the aforementioned observation. The above exercise shall be completed within a period of three months from the date of receipt of this order. माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के क्रम में सक्षम प्राधिकार यथा अभियंता प्रमुख सह अपर आयुक्त सह विशेष कार्य प्रबंधन द्वारा उनके पत्रांक 8280 दिनांक 09.12.2025 द्वारा उस कालीकृत के आदेश के साथ द्वारा प्राधिकार अपीलीय साथ-को निर्णय गये दिये निरस्त कर दिया गया है। जिससे स्वतः स्पष्ट है कि कराये जा रहे कार्य में उदासीनता बरतने एवं ससमय कार्य पूरा नहीं किये जाने में मेरा कोई दोष नहीं था, अन्यथा विभाग द्वारा हमारे कालीकृत की कार्रवाई को वापस नहीं लिया जाता। उपरोक्त वर्णित कंडिका एवं माननीय उच्च न्यायालय पटना द्वारा पारित न्यायादेश आलोक में विभाग द्वारा लिये गये निर्णय से स्पष्ट होगा कि हमारे निविदा को हमारे द्वारा एकरारनामा सं0-01/SBD/2021-22 के तहत कराये जा रहे कार्य में उदासीनता एवं कार्य को ससमय पूर्ण नहीं किये जाने को आधार बनाकर मेरे निविदा को MBD के Section-3 Clause-1.2.1 (b) के आधार पर असफल घोषित किया जाना विधिसंगत नहीं होगा और यह एक अवमाननावाद का मामला बनेगा।	रखते हुए Non-Performing Contract (Abandoning the work) के आधार पर असफल घोषित किया गया था। विभाग द्वारा इसी मामले में निविदाकार को Blacklist किया गया था, जिसके विरूद्ध निविदाकार द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना में CWJC No.-9646/2025 दायर किया गया था, जिसमें दिनांक–23.09.2025 के द्वारा पारित न्यायादेश के आलोक में विभाग द्वारा निर्गत Blacklisting का आदेश–09 (E) दिनांक–01.01.2025 एवं 5372 (E) दिनांक–13.08.2025 को विभागीय आदेश ज्ञापांक–8280 (E) दिनांक–09.12.2025 के द्वारा निरस्त कर दिया है। अतः निविदाकार की आपत्ति को मान्य किया जा सकता है।	

10. परिवाद समिति का निर्णय :-

(i) विषयांकित कार्य की निविदा के तकनीकी बीड में असफल निविदाकार यथा (1) M/s S&P Infrastructure Developers (P) Ltd. के पत्रांक–S&P/Admin/2026-27/178 दिनांक–14.08.2026 द्वारा दिये गये परिवाद को अमान्य किया जाता हे। (2) Ram Kripal Singh Construction Pvt. Ltd. के पत्रांक–शून्य दिनांक–15.08.2026 के द्वारा दिए गए परिवाद/आपत्ति को मान्य करने का निर्णय लिया जाता है।

(ii) 04 (चार) निविदाकार यथा (1) M/s S&P Infrastructure Developers Pvt. Ltd. को NIT की कंडिका–39, MBD Section 3 Clause 1.2.3, Clause 2.2.2 Clause 1.2.1 (b) के तहत् (2) M/s Mother India Construction Pvt. Ltd. के Section 3, Clause 2.2.1 के तहत (3) M/s Sai Engicon and Construction Pvt. Ltd. को MBD के Section 3, Clause 2.3.1(b) के तहत एवं (4) Avednex Pvt. Ltd. को MBD में वांछित कोई भी कागजात अपलोड नहीं करने के कारण तकनीकी बीड में असफल घोषित करने का निर्णय लिया गया।

(iii) दो निविदाकार यथा (1) M/s Amhara Construction Pvt. Ltd. (2) Ram Kripal Singh Construction Pvt. Ltd. को तकनीकी बीड में सफल घोषित करने का निर्णय लिया जाता है। तकनीकी बीड में सफल निविदाकारों का वित्तीय बीड खोलने का निदेश मुख्य अभियंता, दक्षिण, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को दिया गया।

(iv) उपभागीय ज्ञापांक–2681 दिनांक–13.08.2026 द्वारा संसूचित दिनांक–13.08.2026 को सम्पन्न तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति के निर्णय को यथावत् रखने का निर्णय लिया गया।

(v) मुख्य अभियंता, दक्षिण संबंधित परिवादी बीडर को समिति के निर्णय से अवगत कराना सुनिश्चित करेंगे।

10.1 परिवाद समिति की इस कार्यवाही को विभागीय वेबसाईट पर भी डाली जाय।

(राजकुमार)	(राजेश कुमार गुप्ता)	(अभिषेक पलोसिया)	(उमा कान्त रजक)
मुख्य अभियंता, दक्षिण, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।	मुख्य अभियंता, संविदा प्रबंधन, नीतिगत मामले एवं लेखा परीक्षा, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।	संयुक्त सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।	अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव (कार्य प्रबंधन), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक: प्र0–7/निविदा–03–64/2026 6071(E) पटना, दिनांक 1/09/2026

प्रतिलिपिः– मुख्य अभियंता, दक्षिण, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/मुख्य अभियंता(अनुश्रवण), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित/आई0टी0 मैनेजर, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

(उमा कान्त रजक)
अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव(कार्य प्रबंधन),
पथ निर्माण विभाग, बिहार पटना।